GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
Railway Board (रेलवे बोर्ड)

S.No.PC-VI/252
No.PC-V/2009/ACP/2

RBE No.39 /2011
New Delhi, dated 25-03-2011

The General Managers (P)
All Zonal Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub:-Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) for the Railways Employees-Clarifications Regarding.

Please refer to Board's letter of even number dated 10-06-2009 wherein the financial upgradation under the Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) has been allowed upto the highest Grade Pay of ₹12000/- in the Pay Band-4. Consequent upon introduction of the new HAG scale of ₹ 67000-79000 in replacement of ₹ 37400-67000 with Grade Pay of ₹12000 in PB-4, it is clarified that the benefits of financial upgradation under the MACPS shall be available to the aforementioned HAG scale also.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Hindi version is enclosed.

{DoP&T's OM No.35034/3/2008-Estt. (D), dated 24-12-2010}

(N.P.Singh)
Dy.Director, Pay Commission-V
Railway Board

No.PC-V/2009/ACP/2 New Delhi, dated 25-03-2011
Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पीसी-VI/ 252 **आरबीई सं. 39 /2011**
सं. पीसी-V/2009/एसीपी/2 **नई दिल्ली, दिनांक: 25.03.2011**

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेलवे कर्मचारियों के लिए आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के संबंध में स्पष्टीकरण।

कृपया बोर्ड के दिनांक 10.06.2009 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें जिसमें पे बैंड-4 में ₹ 12,000/- तक के अधिकतम ग्रेड पे तक आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन की अनुमति दी गई है। पे बैंड-4 में ₹37,400-67,000 के बदले ₹ 12,000 के ग्रेड पे के साथ ₹ 67,000-79,000 के नए उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड के वेतनमान की शुरूआत के फलस्वरूप यह स्पष्ट किया जाता है कि आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन के लाभ उपरोक्त उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड के वेतनमान में भी उपलब्ध होंगे।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

{कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 24.12.2010 का कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-ईस्ट (डी)}

(एन.पी. सिंह)
उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड

FINANCE-PC-V